

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-306/16 श्र०सं०- 12  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो० सलीम,  
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
नवादा/वैशाली(हाजीपुर) ।

पटना, दिनांक:- 31-5-16

विषय:- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-109-बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग संख्या-26-  
उपशीर्ष-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड-P-2230011090101)के  
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2138 दिनांक-17.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत बीड़ी श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की भरपाई के लिए अनुदान की राशि प्रति आवास ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र की दर से सहायक वेतनादि के अलावा इकाई (31-06) में कुल 125 बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण हेतु 31 जुलाई 2016 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी का नाम	बीड़ी श्रमिकों की संख्या	विषयशीर्ष सहायक वेतनादि के अलावा (31-06) में कुल आवंटित राशि प्रति आवास 4000/- की दर से
1	जिला पदाधिकारी, नवादा	55	55x4000 = 220000
2	जिला पदाधिकारी, वैशाली(हाजीपुर)	70	70x4000 = 280000
	कुल	125	125x4000 = 500000

कुल आवंटित राशि ₹ 5,00,000/- ( ₹ पाँच लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-2793/वि० दिनांक-04.04.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाया। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दी जाया।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

  
(मो० सलीम)


श्रम आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक-6/एफ1-306/16 श्र०सं०-

12

पटना, दिनांक 31-5-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
(मो० सलीम)

**\*स्पीड पोस्ट**

ज्ञापंक-6/एफ1-306/16 श्र.सं.- 12 पटना, दिनांक 31.5.16

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/\*संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-04 श्रम पक्ष को उनके गै.सं.प्रे.सं०-153 (श्रम पक्ष) दि.-27.5.16 के आलोक में/प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6,श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-04) द्वारा किया जायेगा।

*(Handwritten Signature)*  
30/5/16

(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

*(Handwritten Signature)*  
30/5/16